

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी
अनुमति वाद संख्या :- 519/22-23

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

करमा मुण्डा
लोहरा मुण्डा

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

04.02.23

आदेश

आवेदक करमा-मुण्डा पिता स्व० सुखवा मुण्डा ग्राम-घुनसूली, थाना-कर्मा, जिला खूँटी ने लोहरा मुण्डा पिता श्री बुधराम मुण्डा ग्राम-घुनसूली, थाना-कर्मा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
घुनसूली	/121	73	714	0.86

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं० 0767589586 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्मा के पत्रांक 72 दिनांक 21.01.23 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम छोटा खसु मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार दरूवा मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकबा 7.68 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 7.68 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 2457.00(दो हजार चार सौ संतावन) रूपये है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 6.82 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्मा के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मरिजद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदवन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्मा ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्मा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण करमा मुण्डा पिता स्व० सुखवा मुण्डा को लोहरा मुण्डा पिता श्री बुधराम मुण्डा के साथ ग्राम घुनसूली खाता सं० 73 खेसरा संख्या 714 कुल रकबा 0.86 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर दर 2457.00(दो हजार चार सौ संतावन) रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्मा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।